

1764
2

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

/// विविध आदेश ///

क्रमांक २०२ /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ०४ / 08 / 2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती भारती केशरी कश्यप, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-100132/2013 अशोक कुमार एवं अन्य वि० जितेन्द्र कुमार एवं अन्य को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री रजनीश ताम्रकार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

311-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्र० 3933 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ०४ / 08 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर की ओर व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-100132/2013 अशोक कुमार एवं अन्य वि० जितेन्द्र कुमार एवं अन्य का मूल प्रकरण संलग्न प्रेषित है।
2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की ओर व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक-70/2022 जितेन्द्र कुमार वि० अशोक कुमार एवं अन्य का मूल प्रकरण संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सिरमौर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
5. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)